कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **श्री राकेश झॉ अधिवक्ता, भास्कर हाउस इलाइट सीपरी रोड, सिविल लाइन्स, झॉसी ।**

प्रा0प0सं0— **244 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अन्तर्गतनिर्णय

1— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 13—05—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा एक्सकेवेटर लोडर एवं वेक्हो लोडर एवं इसके स्पेयर पार्टस पर प्रवेश कर की देयता की जानकारी चाही गयी है। प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत उ0प्र0सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या — क0नि0—2—2757 / ग्यारह—9(1) / 08 / उ0प्र0अधि—30—2007—आदेश—(31)—2008दिनांक29—9—08के क्रमांक—2 के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक मशीन के पुर्जे पर माल के मूल्य का 2प्रतिशत प्रवेश कर की देयता निर्धारित की गयी है। उक्त प्रविष्टि निम्नवत् हैः—

2	मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रुपये या उससे अधिक हो	माल के मूल्य का 2 प्रतिशत

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—1 वाणिज्य कर, झॉसी जोन, , झॉसी ने अपने पत्र संख्या—2218 दिनांक 04—12—2008 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक्सकेवेटर लोडर मशीन है तथा इसका उपयोग रोड के निर्माण में मिटटी की खुदाई, बिल्डिग तोड़ने व मलबा हटाने के काम में आता है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रार्थी द्वारा पुनः उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया गया। अतः धारा—59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय रुप से किया जा रहा है।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना, प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। प्रवेश कर की उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार 10लाख रुपये से ऊपर की मशीन व पुर्जे पर प्रवेश कर का दायित्व बनता है। चूंकि एक्सकेवेटर लोडर एवं वेक्हो लोडर मशीन है। अतः उन पर व उनके पुर्जो पर तदनुसार प्रवेश कर की देयता बनेगी ।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0 / 10—2—09

दिनांकः: 10 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।